

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 1970/कार्तिक 20, 1892

No. 195]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 1970/KARTIKA 20, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS

(Department of Mines and Metals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November 1970

G.S.R. 1897.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service connected with the supply of electrical energy to the public in the State of Tamil Nadu or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply (not being any such service falling under sub-clause (viii) of clause (a) aforesaid) would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares every such service to be an essential service for the purposes of the said Act.

[No. C6-12(8)/70.]

पेट्रोलियम तथा रसायन और ज्ञान तथा वातु मंत्रालय

(ज्ञान तथा वातु विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर 1970

सा० का० नि० 1897:— आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 (1968 का 59) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार जिसकी यह राय है कि तामिल नाडु राज्य में जनता को विद्युत शक्ति की अपूर्ति से या ऐसी अपूर्ति के प्रयोजनार्थ विद्युत शक्ति के उत्पादन भंडारकरण या संचरण से सम्बन्धित ऐसी किसी सेवा में [जो उक्त अधिनियम के खण्ड (क) के उपखण्ड (8) के अधीन आने वाली सेवा न हो] हड़तालों के परिणाम स्वरूप समुदाय को गम्भीर कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ हर ऐसी सेवा को एतद्द्वारा आवश्यक सेवा घोषित करती है।

[सं० सी० 6-12(8)/70]

ORDER

New Delhi, the 11th November 1970

G.S.R. 1898.—Whereas the Central Government is satisfied that in the public interest it is necessary to make the following order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby prohibits strikes in any service in the State of Tamil Nadu connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply, which has been declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines & Metals (Department of Mines & Metals).

G.S.R. 1897, dated 11-11-1970, to be an essential service for the purposes of the said Act or which falls under sub-clause (viii) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the said Act.

By order and in the name of the President.

[No. C6-12(8)/70.]

N. SUBRAHMANYAM, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 नवम्बर 1970

सा० का० नि० 1898 :— यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि जन हित में निम्नलिखित आदेश बनाना आवश्यक है।

अतः अब आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 (1968 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तमिल नाडु राज्य में ऐसी किसी सेवा में हड़तालों का प्रतिषेध करती है जो जनता को विद्युत शक्ति

की आपूर्ति से या ऐसी आपूर्ति के प्रयोजनार्थ विद्युत शक्ति के उत्पादन, वितरण या संचरण से सम्बन्धित है और जो भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० मि० 1897 तारीख 11 नवम्बर, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सेवा घोषित की जा चुकी है या जो उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (i) क खण्ड (क) उप-खण्ड (viii) के अधीन आती है।

राष्ट्रपति के नाम में और आवेश से।

[सं० सी० 6-12(8)/70]

एन० सुब्रह्मण्यम,

सचिव भारत सरकार।

